

## FORM NO. III

फर्द अहकाम

( नियम- 26 )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थी/प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी/विप्रार्थीगण
1 संताराम पुत्र छोंगाजी जाति माली निवासी लुदराड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (12)		1. अशोक कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति माली निवासी लुदराड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (15) 16 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा 17 शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा मोकलसर 18 शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक सिवाना जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा.....धारा 251A RT Act.

मुकदमा नंबर:-36/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

11.03.2025 प्रार्थी संताराम वगैरह की ओर से वकील श्री गौतमसिंह ने यह प्रार्थना पत्र विप्रार्थी अशोक कुमार वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 251A RT Act. का पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.04.2025 को पेश हो।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

15-04-25

पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण  
1 से 4, 8, 10, 12, 14 की ओर से वकील  
श्री खैराशपुरी ने वकालतनामा पेश किया,  
जो शामिल मिलल हो। वादीगण वकील, शेष  
विप्रार्थीगण की वकील हेतु नोटिस पेश  
करे, पेश करने पर जारी चेकर पत्रावली  
द्वारा 22-04-2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

22-04-25

पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।  
प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना  
पत्र विद्रोह करने के लिए  
प्रार्थना पत्र पेश हुआ, दोनो  
पक्षों के मध्य राजिनामा होने से  
आगे कोई कार्यवाही नहीं  
चाहते हैं, विद्रोह प्रार्थना पत्र  
स्वीकार किया जाकर पत्रावली



तारीख  
हुक्म

फैसल होमर दाखिल हफ्तर  
हो।

सपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)